

तारीख हुक्म

11/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.पीठासीन  
अभिजारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर  
बधारे है पत्रावली दिनांक 19/12/24  
को पेश हो

19/12/24

वकील तारी गैर हाजिर। वकील तारी व पदावली  
को बाबाजे लागाई गरी परन्तु बापजूद सूच्या तारीक  
पत्री इजाजत नही दाखे है। इसल वकील तारी  
बा बाद अधीन धारा 188 R.T.A का काम हावरी  
काम पैली में जारी किया जाता है मिला रफ्त  
नामक से का स्टेट दाखिल रफ्त है।

उपरखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)